

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर
पीठासन अधिकारी श्री प्रशान्त शर्मा (अर.ए.एस.) अन्तिम डि.जी
अनवान

वादी

1 रतनलाल पुत्र करनमल जाति जैन
निवासी लक्ष्मी बाजार बाड़मेर तहसील
व जिला बाड़मेर।

प्रतिवादीगण

1 वीरचन्द पुत्र करनमल जाति जैन
निवासी जैन न्याति नोहरे की गली,
बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर 2
तहसीलदार बाड़मेर

दावा बाबत 88, 53 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 128/2017

निर्णय दिनांक :- 14/09/20

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16/09/20 को श्री प्रशान्त शर्मा, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डि.जी निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य मौजा बाड़मेर शहर पटवार क्षेत्र बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3092/1559 रकबा 01.02 बीघा भूमि का विभाजन कर लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	बरंग
1	वीरचन्द पुत्र करनमल जाति ओसवाल सा. देह खातेदार	3092/1559	0.11	बा.सो.	0.03	हरा
2	रतनलाल पुत्र करनमल जाति ओसवाल सा. देह खातेदार	3092/1559	0.11	बा.सो.	0.03	लाल
	योग :-	2	01.02	बा.सो.	-	-

तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह आज तारीख 16/09/20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(प्रशान्त शर्मा)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपया पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

न्यायालय सहायक कलक्टर, (S.D.O) बाडमेर

नाम पीतासीन अधिकारी - श्री प्रशान्त शर्मा आर ए एस

राजस्व चाद संख्या - 128/2017

वादी

प्रतिवादीगण

1 रतनलाल पुत्र करनमल जाति
जैन विचारी लक्ष्मी बाजार बनाम
बाडमेर तहसील व जिला
बाडमेर।

1 वीरचन्द पुत्र करनमल जाति जैन
विचारी जैन जाति मोहरे की गली,
बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 2
तहसीलदार बाडमेर

राजस्व चाद अन्तर्गत धारा 53, 80 व 100 RTA Act.

स्थिति :-

1. श्री पीताम्बरदास सोनी, वकील वादी पक्ष।
2. श्री महावीर मेहता, वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 16/07/20

सक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय में विचाराधीन चाद संख्या 128/2017 अनवान रतनलाल बनाम वीरचन्द वगैरह दिनांक 16.07.2019 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकरी जारी कर तहसीलदार बाडमेर को चादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया गया था।

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक मू.अ./2020/1719 दिनांक 17.06.2020 द्वारा विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। उभय पक्षों द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की।

अतः तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य मौजा बाडमेर शहर पटवार क्षेत्र बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3092/1559 रकबा 01.02 बीघा भूमि का विभाजन कर लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किरम	लगान	दरम
1	वीरचन्द पुत्र करनमल जाति ओसवाल सा. देह खातेदार	3092/1559	0.11	वा.सो.	0.03	हरा
2	रतनलाल पुत्र करनमल जाति ओसवाल सा. देह खातेदार	3092/1559	0.11	वा.सो.	0.03	लाल
	योग :-	2	01.02	वा.सो.	-	-

तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में दरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिकरी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



निर्णय आज दिनांक 16/07/20 को सारे इजलासा सुनाया गया।

(प्रशान्त शर्मा)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाडमेर

(एसडीओ) बाडमेर